दिनांक–16.11.2018 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार–सह–अध्यक्ष शासी निकाय की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक में विमर्श किए गए विषयों पर अग्रेतर समीक्षा के लिए दिनांक–20.11.2018 को अपराह्न 4:00 बजे मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके अनुश्रवण कोषांग में सम्पन्न बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

विषय संख्या–1

wi-fi usage

सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा वाई-फाई के usage के संबंध में अवगत कराया गया कि Non-Technical कॉलेजों में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम रहती है, इसलिए सामान्यतः कॉलेजों में वाई-फाई का उपयोग उतना अधिक नहीं हो पा रहा है। Technical Colleges में इन्टरनेट का उपयोग अधिक होने के कारण, ऐसे 60 Technical Colleges में speed 10 से बढ़ाकर 20 Mbps किए जाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा Wi-Fi के वैकल्पिक उपयोग हेतु सुझाव दिया गया कि संस्थानों में Integrated Management System (College Management System), Multi Party Video Conferencing एवं विश्वविद्यालयों के आवश्यकतानुसार access point को relocate आदि करने की व्यवस्था की जा सकती है। उक्त विकल्पों पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी एवं अब इस योजना में अतिरिक्त राशि व्यय नहीं करने का निदेश दिया गया।

विषय संख्या–2

हर घर नल का जल योजना

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा सूचित किया गया कि विभाग के स्तर पर कनीय अभियंताओं की कमी को देखते हुए इस योजना में प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर तकनीकी स्वीकृति की व्यवस्था रखी गयी थी। अब इस योजना का Model Estimate तैयार कर लिया गया है, अतः तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही पंचायत स्तर पर हर घर नल का जल योजना के लिए model estimate पर चर्चा की गई। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि model estimate का आधार, No. of house hold, Pipe per meter तथा boring को निर्धारित किया जा सकता है। प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन में प्रखंड इकाईयों की तकनीकी भूमिका को समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। इस योजना के सुगम क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन पुनरीक्षित पंचायतों को उपलब्ध कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निदेश दिया कि वार्ड सदस्य द्वारा घरों की संख्या लिखित में सूचित करें, ताकि उसके आधार पर model का चुनाव किया जाय। उसके बाद कनीय अभियंता Boring की जगह सुनिश्चित करेंगे तथा साथ ही इस योजना से संबंधित मापी पुस्तिका को भी संधारित करेंगें। यह भी निदेशित किया गया कि प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, वरीय अभियंताओं के साथ इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया जाय।

- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा Vender registration web portal को जल्द ही चालू किए जाने की सूचना दी गई। साथ ही घर तक पक्की गली नलियाँ योजना से पहले "हर घर नल का जल" योजना पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। कतिपय वार्डो में पूर्व में

निर्मित गली-नालियों के उपरांत नल-जल योजना प्रारंभ किये जाने के फलस्वरूप उक्त योजना के तहत मुख्य जल वितरण प्रणाली एवं घरों को संयोजकता प्रदान करने वाले pipelines को बिछाने में जगह-जगह पर निर्मित PCC गलियों को तोड़ने की समस्या के निराकरण हेतु Ducts का निर्माण किए जाने की सूचना दी गई।

- माननीय मंत्रीगण को क्षेत्र भ्रमण के दौरान निश्चय योजनाओं की जाँच हेतु इस योजना से संबंधित बिन्दुओं का checksilp एवं guideline उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि माननीय मंत्रीगण से प्राप्त सुझावों को आवश्यकतानुसार प्राथमिकता दी जाय।
- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा 8 मुखिया पर धारा-18 के मामले के में अवगत कराया गया। जिसमें मुखिया द्वारा गड़बड़ी की लिखित रिपोर्ट जिला पदाधिकारी के स्तर से पाए जाने पर अविलंब संबंधित मुखिया पर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की सूचना दी गई।
- सचिव, लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग द्वारा निश्चय योजनाओं के क्रियावन्यन एवं संचालन के प्रभावकारी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु एक कॉल सेन्टर की स्थापना से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही इसके लिए एक checklist भी तैयार करने एवं इसकी शुरूआत अतिशीघ्र किये जाने की जानकारी दी गई। जिसमें कॉल सेन्टर द्वारा पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य तथा कम से कम 10 स्थानीयों से योजना संबंधी feedbacks को compile कर compile sheet तैयार करने की सूचना दी गई। इस योजना में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच हेतु जिला स्तरीय विभागीय प्रयोगशालों में दो प्रकार के गुणवत्ता जाँच हेतु आदेश निर्गत किए जाने की सूचना दी गई एवं इस योजना में प्रयुक्त सामग्रियों की Density की जाँच CIPET से कराने के उपरांत Technical Specification ले कर एक माह के अंदर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

  वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से क्रियान्वित होने वाले वार्डो में विभाग की योजना मद की राशि पंचायती राज विभाग द्वारा सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में अंतरित किए जाने की सूचना दी गई। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्तर पर विचार विमर्श करने हेतु बैठक करने का निदेश दिया गया।

विषय संख्या-3

शहरी क्षेत्र में शौचालय निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय निर्माण के संबंध में अद्यतन स्थिति बताते हुए सूचित किया गया कि कई शहरी क्षेत्रों में भूमि की अनुपलब्धता/ भूमि चिन्हित नहीं होने के कारण सामुदायिक शौचालय के निर्माण में प्रगति नहीं हो पा रही है। इस संबंध में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारियों को मुख्य सचिव के स्तर से भूमि की उपलब्धता/ भूमि चिन्हित करने हेतु पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

विषय संख्या-4

स्टार्ट-अप

प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 129 स्टार्ट-अप को funding किया गया है। बिहार सरकार द्वारा सबसे अधिक 47 स्टार्ट-अप को funding किया गया है।

इस संबंध में यह सुझाव दिया गया कि इस स्टार्ट-अप नीति, 2017 के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाय, यदि संशोधन का proposal दिया जाए तो इसमें timeline छोटा हो और इस नीति की criteria बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो एवं सुगम हो, ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गई।

विषय संख्या–5
अभियंत्रण कॉलेज

प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को निदेश दिया गया की जिन जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध/ चिन्हित नहीं कराई गई है, उन जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ 04 दिसम्बर, 2018 से पूर्व समन्वय स्थापित कर अभियंत्रण महाविद्यालय के भूमि से संबंधित समस्या का निराकरण करें। अध्यक्ष महोदय द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रधान सचिव को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ इस बिन्दु पर विचार विमर्श करने का निदेश दिया गया।

विषय संख्या–6
आई.टी.आई

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग को निदेश दिया गया की जिन जिलों में आई.टी.आई हेतु भूमि उपलब्ध/ चिन्हित नहीं कराई गई है, उन जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ 04 दिसम्बर, 2018 से पूर्व समन्वय स्थापित कर आई.टी.आई के भूमि से संबंधित समस्या का निराकरण करें। अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ इस बिन्दु पर विचार विमर्श करने का निदेश दिया गया।

विषय संख्या–7
बिहार विकास मिशन में कर्मियों की नियुक्ति एवं उनकी उपयोगिता

बिहार विकास मिशन में कर्मियों की नियुक्ति एवं उनकी उपयोगिता के संबंध में सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि बिहार विकास मिशन में पदों का सृजन एवं उनका Job Description सभी विभागों से विमर्श कर ही तैयार किया गया है। उक्त कर्मियों की उपयोगिता के संबंध में सभी प्रधान सचिव/ सचिव द्वारा बताया गया कि उनके विभागों में पदस्थापित संबंधित कर्मियों द्वारा सात निश्चय से संबंधित कार्य किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि विकास आयुक्त के स्तर पर इस संबंध में बिहार विकास मिशन के माध्यम से भविष्य में होने वाले नियुक्ति के पदों एवं उनकी उपयोगिता पर सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव के साथ एक बैठक कर पुनः इस विषय पर विचार विमर्श कर लिया जाय।

विषय संख्या–8 (अन्यान्य)

- प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में अवगत कराया गया कि एजेंसी द्वारा Credit Based Rating के आधार पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। जिसमें बताया गया कि एजेंसी द्वारा सरकार की Credit Rating सुनिश्चित किया जाएगा।

- पंचायत सरकार भवन :-

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा सूचित किया गया कि

- आगामी वित्तीय वर्ष में 1435 इकाइयों का निर्माण राज्य मद से कराया जाना है।
- इसके अतिरिक्त 1435 इकाईयों का निर्माण नाबार्ड के ऋण की राशि से कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस क्रम में प्रधान सचिव, वित्त द्वारा सरकारी बांड एवं अन्य विकल्पों के माध्यम से संसाधन की व्यवस्था कर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने के प्रस्ताव पर विचार किये जाने की सूचना दी गयी।

- प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि सोसाईटी, कॉरपोरेशन एवं बोर्ड आदि के अंकेक्षण हेतु Statutory Audit से संबंधित guideline तैयार किया जा रहा है। जिस पर विकास आयुक्त महोदय द्वारा अंकेक्षण हेतु empanelled agency से संबंधित जानकारी दी गयी, जिस पर विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव द्वारा इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक बिन्दुओं की भी जानकारी दी गयी। सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन द्वारा Statutory Audit के लिए प्रत्येक वर्ष नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के empanelled agency से Audit कराने का सुझाव दिया गया ताकि प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन का सूक्ष्मता से अनुश्रवण किया जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में निदेश दिया गया कि महालेखाकार से इस संबंध में विचार-विमर्श कर लिया जाय।

- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि छपरा स्टेडियम के निगरानी जाँच की गई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांकः- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-03/2018 1510 **दिनांक-** 03.12.18

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव/ सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग/ पंचायती राज विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ उद्योग विभाग/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/ श्रम संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/18
सदस्य सचिव

ज्ञापांकः- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-03/2018 1510 **दिनांक-** 03.12.18

प्रतिलिपि :- मिशन निदेशक/ अपर उप-मिशन निदेशक/ युवा उप-मिशन निदेशक/ उद्योग एवं व्यवसाय उप-मिशन निदेशक/ पेयजल, स्वच्छता एवं ग्राम नगर विकास उप-मिशन निदेशक एवं मानव विकास उप-मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/18
सदस्य सचिव

ज्ञापांकः- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-03/2018 1510 दिनांक- 03.12.18

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ हेतु प्रेषित।

3/12/2018
सदस्य सचिव

ज्ञापांकः- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-03/2018 1510 दिनांक- 03.12.18

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ हेतु प्रेषित।

3/12/2018
सदस्य सचिव

ज्ञापांकः- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-03/2018 1510 दिनांक- 03.12.18

प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/2018
सदस्य सचिव